कार्यालय– प्राचार्य
हिड़मा मांझी शासकीय महाविद्यालय, कटेकल्याण

जिला– दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.), पीन– 494449, महाविद्यालय कोड – 2505

[शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर से मान्यता प्राप्त]

Email id : govtnaveencollegekatekalyan@gmail.com

क्रमांक / 55 /स्था./विज्ञापन/2024 कटेकल्याण, दिनांक 13/07/2024

// अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारूप //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रं. 574/126/आउशि/राज.स्था./2024, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06.07.2024, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ–3–54/स्था/2020/38–1, दिनांक 20.06.2024, क्रं./77/नि.स./स./उ.शि./2024, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12.07.2024 के अनुसार <u>हिड़मा माँझी शासकीय महाविद्यालय, कटेकल्याण, जिला– दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा</u> में विषय (निम्न सारणी अनुसार) में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन <u>दिनांक 25.07.2024</u> को सायं 5:30 बजे तक <u>केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें)</u> प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

<u>आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–</u>

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

2. आयु सीमा– अतिथि व्याख्याता/ अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।

3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण :–

क्रमांक	विषय	रिक्त पद एवं संख्या				
		प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक	ग्रंथपाल	क्रीड़ाधिकारी
1	समाजशास्त्र	–	–	1	–	–
2	राजनीति विज्ञान	–	–	1	–	–
3	अंग्रेजी	–	–	1	–	–
4	अर्थशास्त्र	–	–	1	–	–
5	प्राणी शास्त्र	–	–	1	–	–
6	वनस्पति शास्त्र	–	–	1	–	–
7	रसायन शास्त्र	–	–	1	–	–

टीपः– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/ नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत् अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें :–

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10 वीं, 12 वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 25.07.2024 तक कार्यालय समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 31.07.2024 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट (www.modelcollegedantewada.in) एवं अग्रणी महाविद्यालय, दन्तेवाड़ की वेबसाईट (www.pgcollegedantewada.in) पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 03.08.2024 (संध्या 5:30 बजे) तक होंगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 04.08.2024 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/ न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/ अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिकायत/ कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. अतिथि व्याख्याता के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

क्रं.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400 / –	300 / –
2	चार कालखंडों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानेदय	1600 / – (41600 / – प्रतिमाह अधिकतम)	1200 / – (30000 / – प्रतिमाह अधिकतम)
60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500 / –	350 / –
2	चार कालखंडों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानेदय	2000 / – (50000 / – प्रतिमाह अधिकतम)	1400 / – (35000 / – प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार कर पता प्राचार्य हिडमा माँझी शासकीय महाविद्यालय, कटेकल्याण, शासकीय प्राथमिक शाला कटेकल्याण परिसर, बाजार पारा, कटेकल्याण जिला– दन्तेवाडा, पीन– 494449 एवं आवेदित विषय/ पद आवशयक रूप से लिखें।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत् यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशान बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

प्राचार्य
हिड़मा मांझी शासकीय महाविद्यालय
कटेकल्याण, जिला–दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

हिड़मा मांझी शासकीय महाविद्यालय
कटेकल्याण, जिला-दन्तेवाड़ा (छ.ग)

पृ.क्रमांक / 56 / स्था. / विज्ञापन / 2024 कटेकल्याण, दिनांक 13 / 07 / 2024

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक– सी 30 द्वितिय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन अटल नगर, रायपुर (छ0ग0) का सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय आपर संचालक, बस्तर संभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जगदलपुर को सूचनार्थ।
4. प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय, शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ एवं निवेदन है कि विभाग के निर्देशानुसार उक्त विज्ञापन को अपने महाविद्यालय के वेबसाईट में उपलोड करने का कष्ट करेंगे।
5. प्राचार्य समस्त शासकीय महाविद्यालय..की नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु सूचनार्थ
6. समस्त शासकीय कार्यालय.. ....के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
7. स्थापना एवं लेखा शाखा।

प्राचार्य

हिड़मा मांझी शासकीय महाविद्यालय

कटेकल्याण, जिला- दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

हिड़मा मांझी शासकीय महाविद्यालय

कटेकल्याण,जिला-दन्तेवाड़ा (छ.ग)

शपथपत्र
(50 रुपये के गैर–न्यायिक कागज पर नोटरीकृत)

मैं.. पिता .... उम्र .... वर्ष रहवासी ....एतद् व्दारा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अतिथि व्याख्याता एवं अन्य नीति 2024 की व्यवस्था अंतर्गत मुझे ....विश्वविद्यालय की .... अध्ययनशाला/महाविद्यालय .... जिला ....के .... विषय के प्राध्यापक/सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी, अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक (जो लागू न हो उसे काट दे) हेतु आमंत्रित किया गया है जिसे स्वीकार कर नीति में दी गयी निम्न शर्तों का पालन करुंगा/करूंगी। मैं शपथपूर्वक यह भी स्वीकार करता/करती हूं कि किसी भी सूचना के गलत पाये जाने की स्थिति में इस आमंत्रण/व्यवस्था को निरस्त किया जा सकता है –

1. मैं छत्तीसगढ राज्य का/की मूल निवासी हूं/नहीं हूं।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
3. मैं किसी अन्य शासकीयध्अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत नहीं हूं एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालयध्महाविद्यालय में शिकायतध्कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर मेरी सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
4. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की अतिथि व्याख्याता एवं अन्य नीति 2024 में उल्लेखित सभी निर्देशों का पालन किया जायेगा एवं सभी शर्तें मुझे मान्य है।
5. इस व्यवस्था के अंतर्गत नियमितीकरण हेतु न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जायेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

यदि उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन अथवा किसी अन्य कारण से बिना सूचना/अनुमति 15 दिवस तक लगातार अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में संस्था प्रमुख व्दारा मेरी व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

गवाह

1.
2.